संख्या-29/2016/आर-542/26-3-2016-4(358)/07टी.सी.

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 11 फरवरी 2016

विषयः-अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में जनपद-फैजाबाद, मेरठ, आजमगढ़, बुलन्दशहर के ट्रान्जेक्शन फेल्योर एवं जनपद-कानपुर देहात की पंजाब नेशनल बैंक शाखा अकबरपुर, पुखरायां व झींझक का नाम डिलिट होने से भुगतान हेतु अवशेष देय धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में योजनान्तर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृति से भुगतान की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1552/स.क./शिक्षा-अ/2015-16 दिनांक-04.08.2015,पत्रांक-2033/स.क./शिक्षा-अ/2015-16, दिनांक-25.08.2015 एवं पत्रांक-2447/स.क./शिक्षा/2015-16, दिनांक-20.10.2015 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त जनपद-फैजाबाद, मेरठ, आजमगढ़, बुलन्दशहर में उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभिन्न तकनीकी कारणों से ट्रान्जेक्शन फेल्योर से दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की समर्पित धनराशि एवं वर्ष 2013-14 में जनपद-कानपुर देहात की पंजाब नेशनल बैंक शाखा अकबरपुर, पुखरायां व झींझक का नाम डिलिट होने से अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग के 1498 छात्र-छात्राओं की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देय धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-80 (सामान्य वर्ग) एवं अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जाति) में प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत करके आपके निवर्तन पर रखी गयी है, से सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रूपया-220.61826/- लाख (रूपये दो करोड़ बीस लाख इकसठ हजार आठ सौ छब्बीस मात्र) एवं अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रूपया-231.21061/- लाख (रूपये दो करोड़ इकतिस लाख इक्कीस हजार इकसठ मात्र) अर्थात कुल धनराशि रूपया-451.82887 लाख (रूपये चार करोड़ इक्यावन लाख बयासी हजार आठ सौ सत्तासी मात्र) के भुगतान की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र.सं.	जनपद का नाम	अनुसूचित जाति	सामान्य वर्ग
1	2	3	4
1	फैजाबाद	77.97393	44.58822
2	मेरठ	69.01826	72.43566
3	आजमगढ़	1.75	--
4	बुलन्दशहर	12.826	--
जनपद-कानपुर देहात की पंजाब नेशनल बैंक शाखा का नाम डिलीट होने के कारण फेल्ड ट्रान्जेक्शन सम्बन्धी		69.64242	103.59438
कुल योग		231.21061	220.61826

(1) उपर्युक्त विवरण के अनुसार अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के पात्र छात्र/छात्राओं की दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान सुसंगत नियमावली के प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा वर्ष 2015-16 में बचे अवशेष बजट से ही वर्तमान वर्ष की छात्रवृत्ति के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त बजट की मांग नहीं की जायेगी।

(2) छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किये जाने से पूर्व उनकी पात्रता का सत्यापन करा लिया जायेगा। उनकी पात्रता सुनिश्चित होने पर ही नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वर्ष 2013-14 के अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के अध्ययनरत उन्हीं पात्र छात्र/छात्राओं को किया जाय, जिन्हें ट्रांजेक्शन फेल होने के कारण धनराशि समर्पित हो जाने से प्रतिपूर्ति नहीं हो सकी थी।

(4) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त धनराशि का उपभोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में ही वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व कर लिया जायेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी दशा में अवशेष धनराशि को अगले वित्तीय वर्ष के लिए अग्रेनीत नहीं किया जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार का विचलन होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30 मार्च, 2015 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-29/2016/आर-542(1)/26-3-2016 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद।

2- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, फैजाबाद, मेरठ, बुलन्दशहर, आजमगढ़ एवं कानपुर देहात।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)

6- जिला समाज कल्याण अधिकारी, फैजाबाद, मेरठ, बुलन्दशहर, आजमगढ़ एवं कानपुर देहात।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।